भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2245**

07/08/2026 को उत्तरार्थ

**विषय: संवेदनशील जिलों में अल नीनो के लिए आकस्मिक योजनाएँ**

**2245 श्री प्रमोद तिवारी**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अल नीनो की चिंताओं के मद्देनज़र खरीफ मौसम की तैयारियों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो संवेदनशील जिलों के लिए लागू की गई आकस्मिक योजना क्या है;

(ग) जल संरक्षण, आदानों की कमी से निपटने तथा फसल बीमा के अंतर्गत अधिकाधिक किसानों को शामिल करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(घ) फसलों की अवरुद्ध वृद्धि, विलंबित प्रत्यारोपण तथा खरपतवार में वृद्धि के कारण खाद्य मुद्रास्फीति की चिंताओं से प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क) से (घ): सरकार ने 28-29 मई 2026 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन में अल नीनो की संभावित स्थिति के प्रभाव सहित खरीफ मौसम की तैयारियों की समीक्षा की। सम्मेलन में फसल योजना, बीज और उर्वरक की उपलब्धता, जल प्रबंधन और क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों की समीक्षा की गई और राज्यों को महत्वपूर्ण इनपुट की समय पर उपलब्धता, कुशल जल प्रबंधन, मौसम की स्थिति की सूक्ष्म निगरानी, किसानों को एडवाइजरी का प्रसार और आईएमडी, आईसीएआर और राज्य सरकारों के समन्वय से आकस्मिक उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से तैयारियों को सुदृढ़ करने की सलाह दी गई। इसके अतिरिक्त, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) आईसीएआर शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान आईसीएआर-सीआरआईडीए ने राज्यों के परामर्श से 15 राज्यों के उन 342 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिक योजना (डीएसीपी) को अद्यतन किया गया है, जिनमें सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही, आईसीएआर ने कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के लिए अल नीनो से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी जारी की हैं।

(ii) वर्षा की स्थिति, जलाशय भंडारण, भूजल स्तर, फसल की बुवाई, इनपुट की उपलब्धता, बाजार की स्थिति और कीट/रोगों की घटनाओं की समीक्षा और समय पर हस्तक्षेप करने हेतु फसल मौसम निगरानी समूह (सीडब्ल्यूडब्ल्यूजी) की साप्ताहिक बैठक में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर - सीआरआईडीए), उर्वरक विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सचिव (डीएएंडएफडब्ल्यू) की अध्यक्षता में राज्य कृषि सचिवों और राहत आयुक्तों के साथ दिनांक 27.04.2026 को बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीज, चारा, पेयजल एवं सिंचाई जल, उर्वरक जैसे इनपुट की उपलब्धता और सामान्य तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, मानसून के लिए तैयारियों का आकलन और सुदृढ़ीकरण करने के लिए दिनांक 17.06.2026 को संकट प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिनांक 19 जून 2026 को अल नीनो की संभावित स्थिति के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली सामान्य से कम वर्षा की स्थिति की तैयारियों की समीक्षा भी की है। भारत सरकार के कृषि मंत्री ने दिनांक 23 जून 2026 को अल नीनो की स्थिति के मद्देनजर खरीफ की तैयारियों के लिए राज्य कृषि मंत्रियों के साथ मिलकर स्थिति की समीक्षा की है।

(iii) राज्यों की 172.80 लाख क्विंटल की मांग की तुलना में पर्याप्त मात्रा में खरीफ फसलों के 192.25 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध कराए गए हैं। राज्यों ने 1% बीज अर्थात 1.74 लाख क्विंटल राष्ट्रीय बीज भंडार के रूप में आरक्षित रखे हैं।

(iv) फसल विविधता को बढ़ावा देने, कम अवधि वाली और सूखा-सहिष्णु फसल किस्मों को बढ़ावा देने, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, जल संरक्षण पद्धतियों, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग, अंतरफसल खेती और अन्य जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों के अभ्यास पर विशेष बल दिया गया है।

(v) दिनांक 1 से 30 जून, 2026 के दौरान राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजित 1,14,567 कार्यक्रमों में 80,67,300 किसानों ने भाग लिया जिसे जल संरक्षण को बढ़ावा देने कुशल सिंचाई और जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए आयोजित किया गया था। साथ ही, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत संवेदनशील जिलों में एक गहन किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वितरण अभियान और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

(vi) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, अधिसूचित आपदाओं के कारण को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकारें अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के रूप में प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध निधियों से राहत उपाय करती हैं। 'गंभीर आपदाओं की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एसडीआरएफ के अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है। जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर आकलन शामिल होता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है, न कि ग्रसित/ दावा की गई हानियों की क्षतिपूर्ति के रूप में।

(vii) एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है, न कि ग्रसित/दावा की गई हानियों की क्षतिपूर्ति के रूप में। गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2026-27 से 2030-31 के दौरान (सोलहवें वित्त आयोग के अधीन) एसडीआरएफ के तहत राज्यवार निधि आवंटन का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(viii) केंद्रीय जल आयोग और राज्य सरकारों को जलाशय जल के अधिकतम उपयोग के लिए अग्रिम योजना बनाने और कुशल सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) जैसी जारी योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। ग्रामीण विकास विभाग, विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी जी राम जी) निधि का उपयोग जल संरचनाओं - जैसे कि खेत तालाब, चेक डैम, नहरों की गाद निकालने और बोरी बांधों - के पुनरुद्धार के लिए कर रहा है ताकि प्रारंभिक या अवशिष्ट वर्षा की प्रत्येक बूंद को संचित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों के हिस्से के रूप में, विभाग विभिन्न योजनाओं जैसे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), एकीकृत तिलहन मिशन योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और देश भर में परिचालित अन्य कार्यक्रमों को भी लागू कर रहा है।

**अनुबंध**

**दिनांक 07.08.2026 को उत्तरार्थ राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2245 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**राज्यवार वार्षिक एसडीआरएफ आवंटन** (करोड़ रुपये में)

| **राज्य** | **वर्ष 2026-27** | **वर्ष 2027-28** | **वर्ष 2028-29** | **वर्ष 2029-30** | **वर्ष 2030-31** | **कुल** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 1,182 | 1,241 | 1,303 | 1,368 | 1,439 | **6,533** |
| अरुणाचल प्रदेश | 99 | 104 | 109 | 114 | 121 | **547** |
| असम | 843 | 885 | 929 | 975 | 1,028 | **4,660** |
| बिहार | 2,628 | 2,759 | 2,897 | 3,042 | 3,196 | **14,522** |
| छत्तीसगढ | 479 | 503 | 528 | 554 | 582 | **2,646** |
| गोवा | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | **119** |
| गुजरात | 1,633 | 1,715 | 1,801 | मैं, 891 | 1,982 | **9,022** |
| हरियाणा | 564 | 592 | 622 | 653 | 686 | **3,117** |
| हिमाचल प्रदेश | 431 | 453 | 476 | 500 | 524 | **2,384** |
| झारखंड | 542 | 569 | 597 | 627 | 658 | **2,993** |
| कर्नाटक | 1,239 | 1,301 | 1,366 | 1,434 | 1,507 | **6,847** |
| केरल | 374 | 393 | 413 | 434 | 450 | **2,064** |
| मध्य प्रदेश | 2,258 | 2,371 | 2,490 | 2,615 | 2,743 | **12,477** |
| महाराष्ट्र | 5,718 | 6,004 | 6,304 | 6,619 | 6,952 | **31,597** |
| मणिपुर | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | **230** |
| मेघालय | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | **388** |
| मिजोरम | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | **252** |
| नागालैंड | 66 | 69 | 72 | 76 | 79 | **362** |
| ओडिशा | 1,718 | 1,804 | 1,894 | 1,989 | 2,088 | **9,493** |
| पंजाब | 478 | 502 | 527 | 553 | 582 | **2,642** |
| राजस्थान | 1,778 | 1,867 | 1,960 | 2,058 | 2,162 | **9,825** |
| सिक्किम | 73 | 77 | 81 | 85 | 88 | **404** |
| तमिलनाडु | 1,638 | 1,720 | 1,806 | 1,896 | 1,991 | **9,051** |
| तेलंगाना | 536 | 563 | 591 | 621 | 648 | **2,959** |
| त्रिपुरा | 57 | 60 | 63 | 66 | 70 | **316** |
| उत्तर प्रदेश | 2,957 | 3,105 | 3,260 | 3,423 | 3,597 | **16,342** |
| उत्तराखंड | 797 | 837 | 879 | 923 | 967 | **4,403** |
| पश्चिम बंगाल | 1,326 | 1,392 | 1,462 | 1,535 | 1,611 | **7,326** |
| **कुल** | **29,594** | **31,075** | **32,628** | **34,259** | **35,965** | **1,63,521** |

*स्रोत: गृह मंत्रालय*

*****